

अधिसूचना संख्या एस.ओ. 715 (ई) [सं. 20/2010 (एफ. सं. 189/6/2009-आईटी (ए-आई))], दिनांक 31-3-2010

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसके द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 732(ई), दिनांक 31 जुलाई, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची-1 में —

(i) क्रम संख्या 80 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"80.	आयकर आयुक्त, कोच्चि-1	कोच्चि	केरल राज्य में,- 1.जिला एर्नाकुलम 2.इडुक्की जिले के तोडुपुझा, देवीकुलम और उडुम्पाचोला तालुक	(a) कॉलम (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय कॉलम (4) में वर्णित क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर है; (b) वे व्यक्ति जो उप-मद (क) के अंतर्गत वर्णित कंपनियों के निदेशक हैं और जिनका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (22) के उप-खंड (ड़) की व्याख्या 3 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पर्याप्त हित है; (c) कॉलम (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति, जो कॉलम (4) में वर्णित क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर ट्रस्ट, सहकारी समितियां, व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों का निकाय हैं; (d) कॉलम (4) में वर्णित क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले या धारा 12क के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति; (e) कॉलम (4) में वर्णित क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(20), 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23कक), 10(23ककक), 10(23ककख), 10(23ख), 10(23खख), 10(23खखक), 10(23ग), 10(23ड़क), 10(23ड़ख), 10(24), 10(25), 10(25क), 10(26ककख), 10(26ख), 10(26खख), 10(26खखख), 10(27), 10(29क), 10(30), 10(31) के अंतर्गत छूट का	कॉलम (5) के मद (क), (ख), (ग), (घ) और (ड़) की संगत प्रविष्टियों में निर्दिष्ट व्यक्तियों के सभी मामले।";

दावा करने वाले या उसके
लिए आवेदन करने वाले
व्यक्ति।

(ii) क्रम संख्या 82 और 83 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"82.	आयकर आयुक्त, कोझि-कोड	कोझी- कोड	केरल राज्य में,- कालीकट, मलप्पुरम, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिले	(a) कॉलम (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति जो कंपनियों के अलावा अन्य हैं और व्यापार या पेशे से आय के अलावा अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं और कॉलम (4) में वर्णित क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं; (b) कॉलम (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति जो कंपनियों के अलावा अन्य हैं और व्यापार या पेशे से आय प्राप्त करते हैं और जिनका मुख्य व्यापार स्थान कॉलम (4) में वर्णित क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर है; (c) कॉलम (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय कॉलम (4) में वर्णित क्षेत्र में है	कॉलम (5) के मद (क), (ख) और (ग) की संगत प्रविष्टियों में निर्दिष्ट व्यक्तियों के सभी मामले
83.	आयकर आयुक्त, कोच्चि-II	कोच्चि	केरल राज्य में,- 1.जिला एर्नाकुलम 2.इडुक्की जिले के तोडुपुझा, देवीकुलम और उडुम्पाचोला तालुक	(a) कॉलम (4) में वर्णित क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर इस अनुसूची की क्रम संख्या 80 के कॉलम (5) में वर्णित व्यक्तियों के अलावा सभी अन्य व्यक्ति	कॉलम (5) के मद (क) की संगत प्रविष्टियों में निर्दिष्ट व्यक्तियों के सभी मामले।"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगी।

■ ■